

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 563 / 04
संस्थित दि.: 09 / 07 / 04

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

संतोष पिता नरसराम सैयाम, उम्र 35 साल, जाति
निवासी ग्राम लोटमारा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 15/09/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-6), 338 को आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 07.06.2004 को दिन के 10:00 बजे अहमदपुर परसवाड़ा लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया और ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शिवराम, अखलेश, संदीप, लोकेश, मनोज, सुरेन्द्र को उपहति कारित की एवं बीरन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शिवलाल ने दिनांक 07.06.2004 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.06.2004 को ग्राम खामी से अहमदपुर ट्रेक्टर से बारात लेकर वापस आ रहे थे दिन के करीब 10:00 बजे आरोपी संतोष ने ट्रेक्टर क्रमांक एम. पी.50/एम.ओ.0542 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक ट्रेक्टर को काट दिया, जिससे ट्रेक्टर पलटी खा गया, जिससे उसमें बैठे पन्द्रह-बीस लोगों को चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी संतोष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 42/04 अन्तर्गत धारा 279, 337 पंजीबद्ध कर आरोपी से मय दस्तावेज के ट्रेक्टर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है ।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक दिनांक 07.06.2004 को दिन के 10:00 बजे अहमदपुर परसवाड़ा लोकमार्ग पर ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ. 0542 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रैक्टर को पलटी खिलाकर शिवराम, अखलेश, संदीप, लोकेश, मनोज, सुरेन्द्र को उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रैक्टर को पलटी खिलाकर बीरन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

- :: सकारण निष्कर्ष :: -

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है ।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी शिवलाल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी दिन के 10:00 बजे की है। वह ग्राम खामी से अहमदपुर आरोपी के ट्रैक्टर में बैठकर आ रहा था। ट्रैक्टर में पन्द्रह-बीस व्यक्ति थे आरोपी ने अहमदपुर लोकमार्ग पर ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी

खिला दिया था, जिससे उसके पैर में चोट आई थी और ट्रेक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसका उपचार करवाया था और अन्य लोगों का भी उपचार करवाया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी काशीराम (अ.सा.02), बीरनसिंह (अ.सा.03), मनोज (अ.सा.10), का भी कहना है कि घटना उनके कथन के चार-पांच वर्ष पुरानी अहमदपुर लोकमार्ग की है। वह आरोपी के ट्रेक्टर में बैठकर बारात में से अहमदपुर आ रहे थे आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक मोड़ दिया था और ट्रेक्टर को पलटी खिला दिया था, जिससे उन्हें चोट आई थी और ट्रेक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सम्पत (अ.सा.05) का भी कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(09) अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.09) का कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि वह शिवलाल के साथ ट्रेक्टर में बैठकर अहमदपुर से आ रहा था। ट्रेक्टर चालक तेजी एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चला रहा था तो उसने मना किया था। ट्रेक्टर ट्राली सहित पलट गया था ट्रेक्टर पनटने से अखिलेश, संदीप को चोट आई थी और उसे भी चोट आई थी।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता भगतसिंह (अ.सा.06) का भी स्पष्ट कहना है कि फरियादी शिवलाल ने ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 के चालक के विरुद्ध तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाते हुए पलटी खिलाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 42/04 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया जो प्रदर्श पी-01 है घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 विवेचना के दौरान तैयार किया था। साक्षी शिवलाल, संदीप, विष्णु, भादू, बीरन, काशीराम, मनोज, सुरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(11) विवेचनाकर्ता डी.के.सिंह. (अ.सा.07) का भी कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 42/04 की विवेचना के दौरान गवाहों के समक्ष ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 एवं ट्राली एम.पी.50/एम.ओ.0557 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा

प्रदर्श पी-05 बनाया था।

(12) अभियोजन साक्षी डॉ.के.प्रसाद (अ.सा.08) का कहना है कि सेवाराम को दिनांक 07.06.2004 को उसके द्वारा मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि बांये पैर के पंजे पर एक फटा हुआ घाव था उसे बताया गया था कि एक्सीडेंट से चोट आई है, चोट 24 घण्टे के अन्दर की सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत अखिलेश के मेडिकल परीक्षण में दाहिने पैर कि थाई बोन में फ्रैक्चर होना अनुमानित पाया था चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से 12 से 24 घण्टे की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत संदीप के मेडिकल परीक्षण में दाहिने हाथ की इन्डेक्श फिंगर में एक कटा-फटा हुआ घाव होना पाया था उक्त चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से 24 घण्टे के अन्दर की आना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत लोकेश के मेडिकल परीक्षण में सिर के दाहिने ओर फटा हुआ घाव था आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत बीरनसिंह के मेडिकल परीक्षण में बांये हाथ की कोहनी और बांये पैर पर खरौंच होना पाया था आहत को आई खरौंच उसके जांच के 24 घण्टे के अन्दर की अवधि होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत मनोज के मेडिकल परीक्षण में बांये घूठने पर खरौंच एवं सूजन होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है। उक्त दिनांक को उसने आहत सुरेन्द्र के मेडिकल परीक्षण में बांये आंख के बाहरी भाग पर सूजन होना पाया था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की अवधि की सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है।

(13) अभियोजन साक्षी डॉ.बी.पी. समद (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसने दिनांक 28.06.2004 को आहत बीरनसिंह की छाठी, सातवी, आठवी, नवमी, दसमी पसली में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी/फरियादी शिवलाल (अ.सा.01) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी दिन के 10:00 बजे की है। वह ग्राम खामी से अहमदपुर आरोपी के ट्रेक्टर में बैठकर आ रहा था। ट्रेक्टर में पन्द्रह-बीस व्यक्ति थे आरोपी ने अहमदपुर लोकमार्ग पर ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिला दिया था, जिससे उसके पैर में चोट आई थी और ट्रेक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसका उपचार करवाया था और अन्य लोगों का भी उपचार करवाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी काशीराम (अ.सा.02), बीरनसिंह (अ.सा.03), मनोज (अ.सा.10), का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उनके कथन के चार-पांच वर्ष पुरानी अहमदपुर लोकमार्ग की है। वह आरोपी के ट्रेक्टर में बैठकर बारात में से अहमदपुर आ रहे थे आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक मोड़ दिया था और ट्रेक्टर को पलटी खिला दिया था, जिससे उन्हें चोट आई थी और ट्रेक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में न तो ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आया और नहीं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है, जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सम्पत (अ.सा.05) का भी कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(18) अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.09) का स्पष्ट कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि वह शिवलाल के साथ ट्रेक्टर में बैठकर

अहमदपुर से आ रहा था। ट्रेक्टर चालक तेजी एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चला रहा था तो उसने मना किया था। ट्रेक्टर ट्राली सहित पलट गया था ट्रेक्टर पनटने से अखिलेश, संदीप को चोट आई थी और उसे भी चोट आई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता भगतसिंह (अ.सा.06) का भी स्पष्ट कहना है कि फरियादी शिवलाल ने ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 के चालक के विरुद्ध तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाते हुए पलटी खिलाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 42/04 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जो प्रदर्श पी-01 है घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 विवेचना के दौरान तैयार किया था। साक्षी शिवलाल, संदीप, विष्णु, भादू, बीरन, काशीराम, मनोज, सुरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) विवेचनाकर्ता डी.के.सिंह. (अ.सा.07) का भी स्पष्ट कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 42/04 की विवेचना के दौरान गवाहों के समक्ष ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50/एम.ओ.0542 एवं ट्राली एम.पी.50/एम.ओ.0557 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन साक्षी डॉ.के.प्रसाद (अ.सा.08) का भी स्पष्ट कहना है कि सेवाराम को दिनांक 07.06.2004 को उसके द्वारा मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि बांये पैर के पंजे पर एक फटा हुआ घाव था उसे बताया गया था कि एक्सीडेंट से चोट आई है, चोट 24 घण्टे के अन्दर की सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत अखिलेश के मेडिकल परीक्षण में दाहिने पैर कि थाई बोन में फ्रैक्चर होना अनुमानित पाया था चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से 12 से 24 घण्टे की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत संदीप के मेडिकल परीक्षण में दाहिने हाथ की इन्डेक्स फिंगर में एक

कटा-फटा हुआ घाव होना पाया था उक्त चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से 24 घण्टे के अन्दर की आना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत लोकेश के मेडिकल परीक्षण में सिर के दाहिने ओर फटा हुआ घाव था आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत बीरनसिंह के मेडिकल परीक्षण परीक्षण में बांये हाथ की कोहनी और बांये पैर पर खरौंच होना पाया था आहत को आई खरौंच उसके जांच के 24 घण्टे के अन्दर की अवधि होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत मनोज के मेडिकल परीक्षण में बांये घूठने पर खरौंच एवं सूजन होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है। उक्त दिनांक को उसने आहत सुरेन्द्र के मेडिकल परीक्षण में बांये आंख के बाहरी भाग पर सूजन होना पाया था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की अवधि की सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(22) अभियोजन साक्षी डॉ.बी.पी. समद (अ.सा.04) का भी स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 28.06.2004 को आहत बीरनसिंह की छाठी, सातवी, आठवी, नवमी, दसमी पसली में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किये जाने का अभिलेख पर कोई कारण नहीं है और नहीं ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आया है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद कहा जाये।

(24) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है किन्तु इस सम्बन्ध में

आरोपी अधिवक्ता ने कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है।

(25) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी संतोष ने दिनांक 07.06.2004 को दिन के 10:00 बजे अहमदपुर परसवाड़ा लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया और ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शिवराम, अखलेश, संदीप, लोकेश, मनोज, सुरेन्द्र को उपहति कारित की एवं बीरन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(26) परिणाम स्वरूप आरोपी संतोष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्ट्स-6), 338 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(27) प्रकरण में आरोपी संतोष पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी संतोष को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(28) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (M0प्र0)

पुनश्च :-

(29) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(30) आरोपी संतोष के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी संतोष का यह प्रथम अपराध है। आरोपी संतोष की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी संतोष नवयुवक होकर मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(31) आरोपी संतोष के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(32) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(33) आरोपी संतोष की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है आरोपी मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति एवं नवयुवक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपी संतोष ने दिनांक 07.06.2004 को दिन के 10:00 बजे अहमदपुर परसवाड़ा लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया और ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शिवराम, अखलेश, संदीप, लोकेश, मनोज, सुरेन्द्र को उपहति कारित की एवं बीरन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की। आरोपी संतोष द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी संतोष को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी संतोष द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी संतोष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 (आहत शिवराम, अखलेश, संदीप, लोकेश, मनोज, सुरेन्द्र को उपहति कारित करने हेतु) के आरोप में प्रत्येक आहत के सम्बंध में 500/- (पांच सौ) रुपये कुल 3000/- (तीन हजार) रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी संतोष को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(34) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम.ओ.0542 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(35) निर्णय की एक प्रति आरोपी संतोष को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)